भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूजलैटर

अगस्त 2020

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ0 आर0 एस0 शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और जीएसएम संघ (जीएसएमए) के सहयोग से दिनांक 30 जुलाई, 2020 को आयोजित ''दक्षिण एशिया में कोविड–19 के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं हेतु डिजिटल परिवर्तन'' विषय पर वेब–वार्तालाप के दौरान

.

1. विनियम

1.1 दिनांक 10 जुलाई, 2020 को जारी किया गया दूरसंचार अंतर्संयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 संबंधी विनिमय

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 10 जुलाई, 2020 को जारी किया गया दूरसंचार अंतर्संयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं, जो किन्हीं दो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्कों (जिन्हें आमतौर पर फिक्सड लाइन नेटवर्क कहा जाता है) और राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क (एनएलडी) के बीच अंतर्संयोजन को सुलभ बनाता है।

अंतर्संयोजन हेतु विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा'' संबंधी परामर्श पत्र को हितधारकों से टिप्पणियां तथा प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 30 मई, 2019 को जारी किया गया था। इस संबंध में दिनांक 19 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई थी। हितधारकों से टिप्पणियां/ जानकारियों के आधार पर, खुला मंच चर्चा के दौरान हुई चर्चा और अपने स्वयं के विश्लेषण के उपरांत, प्राधिकरण ने ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 अधिसूचित किए''।

''दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018'' में किए गए संशोधनों का सार, निम्नानुसार है:–

(i) एक सेवा क्षेत्र के भीतर, पीएसटीएन और पीएसटीन अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्कों के बीच कॉल के लिए पीओआई की अवस्थिति, एक ऐसा स्थान होगा जो अंतर्संयोजन प्रदाता और अंतर्संयोजन प्राप्तकर्ता के बीच आपस में सहमत होगा।

(ii) यदि अंतर्संयोजन प्रदाता और अंतर्संयोजन प्राप्तकर्ता सहमत नहीं हो पाते हैं तो, पीएसटीएन और पीएसटीन अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्कों के बीच कॉल के लिए पीओआई की अवस्थिति, लॉग डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर (एलडीसीसी) होगा। उस स्थिति में एलडीसीसी से शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग सेंटर (एसडीसीसी) तक कॉल को ले जाने तथा प्रतिलोमतः हेतु वहन प्रभार, जो लागू हों, का भुगतान अंतर्संयोजन प्राप्तकर्ता द्वारा अंतर्संयोजन प्रदाता को किया जाएगा।

(iii) एसडीसीसी के स्तर पर पीएसटीएन और पीएसटीन अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्कों के बीच कॉल के लिए मौजूदा पीओआई, कम से कम पांच वर्षों की अवधि अथवा ऐसे समय जिसे सेवा प्रदाता ऐसे पीओआई को बंद करने के लिए आपस में तय करेंगे, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए के लिए प्रचालनाधीन रहेंगे।

(iv) पीएसटीएन और पीएसटीन अथवा पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्कों के बीच कॉल के लिए यदि किसी एक अंतर्संयोजित सेवा प्रदाता की सेवा उस एसडीसीए मे बंद कर दी गई हों तो, एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पीओआई को बंद किया जा सकता है।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_10072020_0.pdf

Newsletter

2. सिफारिशें

2.1 'वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीएसएटी के माध्यम से उपग्रह द्वारा सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना' विषय पर दिनांक 28 जुलाई, 2020 की सिफारिशें

उपग्रह बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए दूरसंचार और प्रसारण सेवाएं प्रदान करते हैं। 'वेरी स्मापल अपर्चर टर्मिनल' (वीसैट) उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों में से एक है जो दूरदराज के और दुर्गम स्थानों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, जहाजों, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ियों क्षेत्रों आदि के लिए बहुत उपयोगी है जहां सीमित या कोई भी स्थलीय कनेक्टिविटी नहीं है। वीसैट प्रौद्योगिकी के मुख्य लाभ प्रतिकूल परिस्थितियों और यहां तक की दूरस्थ स्थानों में न्यूनतम प्रशिक्षण, स्केलेबिलिटी, कम परिचालन लागत और संचार की विश्वसनीयता के साथ इसकी तीव्रता के साथ तैनाती किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में विभिन्न कदमों जैसे लाइसेंसिंग और विनियामक शर्तों में संशोधन, अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को सरल बनाने और उपयुक्त लाइसेंसिंग तंत्र के माध्यम से 'उच्च थ्रुपुट' उपग्रह प्रणाली के प्रभावी उपयोग के लिए अनुमेय सेवाओं के दायरे का विस्तार करने जैसे विभिन्न कदमों की परिकल्पना की गई है।

दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) ने दिनांक 13 अगस्त, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह वीसैट के माध्यम से उपग्रह द्वारा मोबाइल नेटवर्क के लिए बैकहॉल लिंक की अनुमति देने के लिए एकीकृत लाइसेंस और एकीकृत लाइसेंस वीएनओ समझौते की निबंधन और शर्तों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की शर्तों के तहत सिफारिशें प्रस्तुत करे।

दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 29 जनवरी, 2020 को 'वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से उपग्रह से सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान' पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया, जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गईं। सीपी में दूरसंचार विभाग द्वारा संदर्भित मुद्दों के अलावा, लाइसेंस के तहत प्राधिकृत अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंसप्रदाता द्वारा बुनियादी ढांचे को सांझा करने, फार्मूला आधारित स्पेक्ट्रम चार्जिंग (उपग्रह आधारित सेवाओं के लिए) से एजीआर–आधारित एसयूसी में प्रवासन और लेखांकन पृथक्करण से संबद्ध मामलों जैसे अन्य मुद्दों को भी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए उठाया गया था ।

परामर्श प्रक्रिया और अपने विश्लेषण के दौरान प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 28 जुलाई, 2020 को 'वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से उपग्रह द्वारा सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान' पर अपनी सिफारिशें जारी की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सिफारिश की कि वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्रदाता को पहुंच सेवा प्रदाता को वीसैट का इस्तेमाल करते हुए उपग्रह के माध्यम से सेलुलर मोबाइल सेवाओं के लिए बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए । नीचे दिए गए लिंक से पूर्ण सिफारिशों तक पहुंच बनाई जा सकती है।

Newsletter

https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_28072020.pdf

3. निदेश

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 24 जुलाई, 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के तहत सभी प्रसारकों को निदेश जारी किया:

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी प्रसारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2020 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एडेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2020 और दिनांक 01 जनवरी, 2020 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एडेसेबल प्रणालियां) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का यह निदेश जारी किया।

निदेश के माध्यम से, प्राधिकरण ने सभी प्रसारकों को दिनांक 10 अगस्त, 2020 तक प्राधिकरण को चैनलों के नाम, स्वरूप, भाषा, चैनलों के प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य अथवा चैनलों के बुके के प्रतिमाह अधिकतम खुदरा मूल्य, बुके की संरचना और उपरोक्त प्रशुल्क आदेश और अंतर्संयोजन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में 'रेफरेंस इंटरकनेक्टिड ऑफर (आरआईओ) में संशोधन करने का निदेश दिया।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Direction_24072020.pdf

Newsletter

4. संगोष्ठी

4.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने दिनांक 24 जुलाई को ''देश में 5जी–विनिर्दिष्टताएं, उपयोग के मामले, चुनौतियां तथा कार्य योजना'' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दिनांक 24 जुलाई को ''देश में 5जी–विनिर्दिष्टताएं, उपयोग के मामले, चुनौतियां तथा कार्य योजना'' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस वेबिनार का उद्देश्य देश में मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी– 5जी, विभिन्न उपयोग मामलों, नेटवर्क आर्किटेक्चर, स्पेक्ट्रम संबंधी आवश्यकताओं, नीतिगत ढांचे, कार्य योजना और विनियामक चुनौतियों आदि में नवीनतम घटनाओं पर चर्चा करना है। विषय विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां और परिचर्चा की जाएगी। यह वेबिनार सीखने, वार्तालाप, दृष्टिकोण और विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक अच्छा अवसर साबित होगा और हर प्रतिभागी के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा। लक्षित श्रोतागणों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ अधिकारी, बुनियादी प्रदाताओं, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों, उपभोक्ता समर्थक समूह, संकाय सदस्यों, शोध विद्वानों और विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों से छात्रों, संघ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और उपभोक्ताओं आदि को शामिल किया गया।

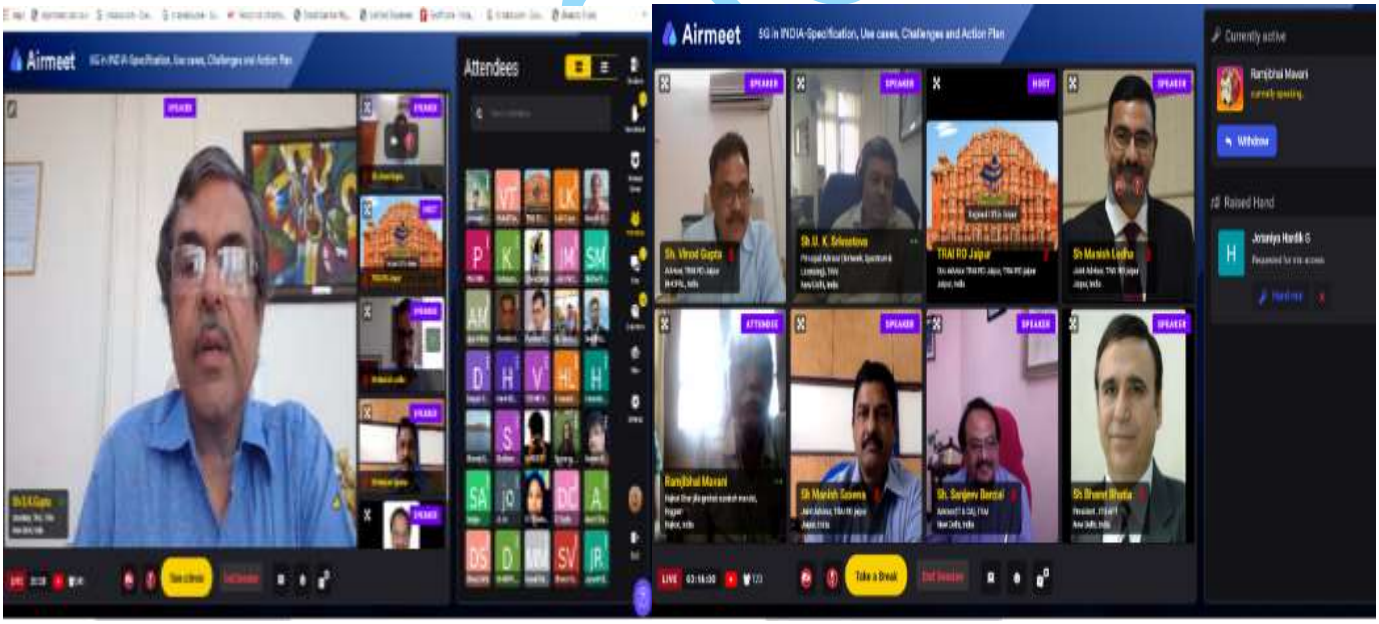

दिनांक 24 जुलाई को आयोजित ''देश में 5जी–विनिर्दिष्टताएं, उपयोग के मामले, चुनौतियां तथा कार्य योजना'' पर एक संगोष्ठी

5. खुला मंच चर्चा

5.1 दिनांक 09 जुलाई, 2020 को 'स्पेक्ट्रम सहभागिता के मामले में, एसयूसी के भारित औसत विधि के तहत एसयूसी आवेदन करने की पद्धति' पर परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'स्पेक्ट्रम सहभागिता के मामले में, एसयूसी के भारित औसत विधि के तहत एसयूसी आवेदन करने की पद्धति पर परामर्श पत्र' विषय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 09 जुलाई, 2020 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित किया।

संबंधित हितधारकों से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 09 जुलाई, 2020 को खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित अनेक हितधारकों ने खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा के संचालन में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

कुछ चित्र

6. अन्य जानकारी

6.1 दिनांक 31 मई, 2020 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े

ब्योरा	वॉयरलेस	वॉयरलाइन	कुल (वॉयरलेस + वॉयरलाइन)
शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	620.21	17.65	637.85
ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	523.70	2.12	525.82
कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर (मिलियन में)	1143.91	19.77	1163.67

समग्र दूरसंचार घनत्व (प्रतिशत में)	84.69	1.46	86.15
शहरी सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन (प्रतिशत में)	54.22 प्रतिशत	89.28 प्रतिशत	54.81 प्रतिशत
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन (प्रतिशत में)	45.78 प्रतिशत	10.72 प्रतिशत	45.19 प्रतिशत
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन में)	664.40	19.38	683.77

मई, 2020 में व्यस्ततम वीआरएल की तिथि पर सक्रिय वॉयरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या 960.78 मिलियन रही।

मई, 2020 के माह में मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी के लिए 2.98 मिलियन अनुरोध किए गए। मई, 2020 के अंत तक, कुल 491.21 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी की सुविधा आरंभ होने से लेकर अब तक इसका लाभ उठाया है।

6.2 भादूविप्रा ने दिनांक 28 जुलाई, 2020 को डिजिटल एडेसेबल प्रणाली (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों के पेनल की एक अद्यतन सूची जारी की है।

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निदेशों/ आदेशों, परामर्श पत्रों/ रिपोर्टों, सब्सक्रिप्शन संबंधी आंकड़ों आदि का पूर्ण ब्योरा भारतीय दूरसंचार विनियामक आयोग की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** पर उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली– 10002

हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं ! हमसे जुड़िए !

https://www.facebook.com/TRAI/

हम टिव्टर पर भी मौजूद हैं ! हमसे जुड़िए !

TRAI@TRAI

Newsletter